आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी०डी०एस० पुनरीक्षण वाद संख्या –214/2022

नुसरत जहाँ

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
17.04.2023	यह वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 4640/2022 में दिनांक–18.08.2022 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में दिनांक 17.01.2022 को लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2022 को पारित आदेश का अंश निम्न प्रकार है :– **"Let the petitioner make a suitable complaint before the Divisional Commissioner within a period of 30 days, who, on receipt of such complaint, shall, after hearing all the parties/stake-holders including the private respondent No. 9, take a final decision, within a period of 90 days from the date of receipt/production of a copy of this order, with respect to the correctness of the decision granting license to private respondent No. 9."** आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:– (i) प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आवेदिका के नाम की अनुशंसा की गयी। विपक्षी सं0–07 (श्रीमती कविता कुमारी) द्वारा शैक्षणिक प्रमाण–पत्र, कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र, जाति/आवासीय प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं	

WEB COPY NOT OFFICIAL

करने के कारण प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा विपक्षी सं0–07 (श्रीमती कविता कुमारी) को अनुज्ञप्ति हेतु योग्य नहीं पाया गया।

(ii) विपक्षी सं0–07 (श्रीमती कविता कुमारी) द्वारा अपने आवेदन में कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित सूचना अंकित नहीं करने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा विपक्षी सं0–07 (श्रीमती कविता कुमारी) नही ंकर आवेदिका को अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसा किया गया।

(iii) जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा गलत तरीके से विपक्षी सं0–07 (श्रीमती कविता कुमारी) का चयन कर लिया गया जो निरस्त होने योग्य है।

विपक्षी सं0–07 (श्रीमती कविता कुमारी) के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी सं0–07 (श्रीमती कविता कुमारी) को कम्प्यूटर ज्ञान एवं लगान रसीद संलग्न नहीं करने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति हेतु योग्य नहीं माना गया। इस संबंध में विपक्षी सं0–07 द्वारा दिनांक 05.07.2018 को दावा आपत्ति समर्पित किया गया। दिनांक 13.01.2022 को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा विपक्षी सं0–07 (श्रीमती कविता कुमारी) को अनुज्ञप्ति योग्य मानते हुए जिला स्तरीय चयन समिति को अनुशंसा किया गया। आवेदिका और विपक्षी सं0–07 (श्रीमती कविता कुमारी) दोनों कम्प्यूटर ज्ञान धारक है। आवेदिका की शैक्षणिक योग्यता इंटर है जबकि विपक्षी सं0–07 (श्रीमती कविता कुमारी) की शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। इस प्रकार विपक्षी सं0–07 (श्रीमती कविता कुमारी) का चयन नियमानुकूल है एवं आवेदिका का अपीलवाद खारिज होने योग्य है।

वहीं विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि कम्प्यूटर ज्ञान में समानता होने के कारण अधिक योग्यता वाले विपक्षी सं0–07 (श्रीमती कविता कुमारी) को प्राथमिकता देते हुए चयन किया गया है। इस प्रकार जिला स्तरीय चयन समिति का आदेश विधिसम्मत है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद मुजफ्फरपुर जिलांतर्गत पंचायत–मड़वापाकर, रोस्टर बिन्दु 994, कोटि पिछड़ा वर्ग महिला के लिए जन वितरण प्रणाली दुकान की

WEB COPY NOT OFFICIAL

	अनुज्ञप्ति से संबंधित है। आवेदिका (श्रीमती नुसरत जहाँ) एवं विपक्षी सं0–07 (श्रीमती कविता कुमारी) दोनों कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रमाण–पत्र धारित करती है। आवेदिका की शैक्षणिक योग्यता इंटर है जबकि विपक्षी सं0–07 (श्रीमती कविता कुमारी) की शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। विपक्षी सं0–07 (श्रीमती कविता कुमारी) की शैक्षणिक योग्यता आवेदिका से अधिक है। ***''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 9(v)''*** में अंकित है कि ***''उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और व्यस्क होगा परंतु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।''*** इस प्रकार जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय नियमानुकूल है, जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत वाद को अस्वीकृत किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त।**	

WEB COPY NOT OFFICIAL